संख्या-40/2026/135/60-1-2026

(सी-1985630) (पार्ट-1)

प्रेषक,

प्रेम प्रकाश सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

महिला कल्याण अनुभाग-1 लखनऊ::दिनांक::25 अगस्त, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु केन्द्र पुरोनिधानित योजना मिशन वात्सल्य के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि से वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1086/निदे0म0क0/प्रोबे0/मि0वा0/बजट-21/2026-27, दिनांक 17.08.2026 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में केन्द्र पुरोनिधानित मिशन वात्सल्य योजना (के०.+रा०.) की विभिन्न उप योजनाओं हेतु तृतीय किश्त के रूप में भारत सरकार द्वारा प्रदान की गयी Mother Sanction की धनराशि रू० 10,60,58,500/- तथा संगत राज्यांश की धनराशि रू० 7,07,05,667/- अर्थात कुल धनराशि (के०.+रा०.) रू० 17,67,64,167/- (रुपये सत्रह करोड़ सरसठ लाख चौसठ हजार एक सौ सरसठ मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुये आपके निवर्तन पर रखे जाने हेतु निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) निदेशालय, महिला कल्याण द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 28.03.2026 एवं 26.09.2025 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत स्वीकृत केन्द्रांश की धनराशि का समायोजन भारत सरकार से प्राप्त होने वाली केन्द्रीय सहायता की धनराशि से किया जायेगा।

(3) निदेशालय, महिला कल्याण द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नही है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(4) बजट प्रावधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशालय, महिला कल्याण का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशालय, महिला कल्याण द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्यमद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा।

(6) अवमुक्त धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(7) निदेशालय, महिला कल्याण द्वारा योजना हेतु भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों/गाइडलाइन का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) निदेशालय, महिला कल्याण द्वारा केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं में केन्द्रांश की धनराशि सीधे योजना के लिए भारतीय रिजर्व बैंक में खुले खाते में प्राप्त होगी। अतएव इन योजनाओं में प्राप्त केन्द्रांश की पुष्टि वित्त विभाग से कराये जाने की आवश्यकता नहीं होगी। अतः योजनान्तर्गत भारत सरकार से धनराशि प्राप्त होने के संबंध में निदेशालय, महिला कल्याण स्वयं संतुष्ट हो लेगा।

(9) निदेशालय, महिला कल्याण द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृतियों में यह विशेष रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त योजना के अन्तर्गत आच्छादित सभी मदों/घटकों का उल्लेख स्पष्ट रूप से वित्तीय स्वीकृति में करते हुए SNA को प्रेषित की जायेगी तथा SNA द्वारा विभिन्न स्तरों पर (इम्प्लीमेंटिंग ऐजेंसी तक) लिमिट आवंटित की जायेगी तथा वित्तीय स्वीकृति की प्रतिलिपि साइबर ट्रेजरी के वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

(10) निदेशालय, महिला कल्याण द्वारा समस्त बिलों का परीक्षण इम्प्लीमेंटिंग ऐजेंसी एवं जनपदीय एडमिन द्वारा किया जायेगा, अतः SNA स्तर पर पुनः परीक्षण की आवश्कता नहीं होगी। SNA द्वारा मात्र समेकित बिल का अग्रसारण किया जायेगा। आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा नियमानुसार बिल साइबर ट्रेजरी को अग्रेषित किये जायेंगे।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष:2235021020106 (बाल कल्याण समिति (के.60/रा.40-के.+ रा.)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	049	2235021020106 बाल कल्याण समिति	07 मानदेय	2,68,80,000 (रुपये दो करोड़ अड़सठ लाख

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		(के.60/रा.40-के.+ रा.)		अस्सी हजार मात्र)
2	049	2235021020106 बाल कल्याण समिति (के.60/रा.40-के.+ रा.)	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	15,32,400 (रुपये पन्द्रह लाख बत्तीस हजार चार सौ मात्र)
	कुल			2,84,12,400 (रुपये दो करोड़ चौरासी लाख बारह हजार चार सौ मात्र)

लेखाशीर्ष:2235021020110 (विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेषीकृत यूनिट (के.60/रा.40-के.+ रा.))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	049	2235021020110 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेषीकृत यूनिट (के.60/रा.40-के.+ रा.)	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	28,66,058 (रुपये अट्ठाईस लाख छियासठ हजार अट्ठावन मात्र)
2	049	2235021020110 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेषीकृत यूनिट (के.60/रा.40-के.+ रा.)	39 औषधि तथा रसायन	12,08,938 (रुपये बारह लाख आठ हजार नौ सौ अड़तीस मात्र)
3	049	2235021020110 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेषीकृत यूनिट (के.60/रा.40-के.+ रा.)	41 भोजन व्यय	12,19,200 (रुपये बारह लाख उन्नीस हजार दो सौ मात्र)
	कुल			52,94,196 (रुपये बावन लाख चौरानबे हजार एक सौ छियानबे मात्र)

लेखाशीर्ष: 2235021020112 (विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण (के.60/रा.40-के.+ रा.))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1	049	2235021020112 विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण (के.60/रा.40-के.+ रा.)	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	36,83,880 (रुपये छत्तीस लाख तिरासी हजार आठ सौ अस्सी मात्र)
2	049	2235021020112 विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण (के.60/रा.40-के.+ रा.)	41 भोजन व्यय	8,28,000 (रुपये आठ लाख अट्ठाईस हजार मात्र)
3	049	2235021020112 विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण (के.60/रा.40-के.+ रा.)	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	97,92,120 (रुपये सत्तानबे लाख बानबे हजार एक सौ बीस मात्र)
	कुल			1,43,04,000 (रुपये एक करोड़ तैंतालीस लाख चार हजार मात्र)

लेखाशीर्ष: 2235021020114 (किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत संस्थानों/ गृहों का संचालन (के.60/रा.40-के.+ रा.))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	049	2235021020114 किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत संस्थानों/ गृहों का संचालन (के.60/रा.40-के.+ रा.)	61 केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की धनराशि का एस.एन.ए. मे अन्तरण	6,58,54,060 (रुपये छह करोड़ अट्ठावन लाख चौवन हजार साठ मात्र)
	कुल			6,58,54,060 (रुपये छह करोड़ अट्ठावन लाख चौवन हजार साठ मात्र)

लेखाशीर्ष: 2235021020115 (बाल संरक्षण इकाई की स्थापना(के.60/रा.40-के.+ रा.))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1	049	2235021020115 बाल संरक्षण इकाई की स्थापना (के.60/रा.40-के.+ रा.)	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1,60,04,648 (रुपये एक करोड़ साठ लाख चार हजार छह सौ अड़तालीस मात्र)
2	049	2235021020115 बाल संरक्षण इकाई की स्थापना (के.60/रा.40-के.+ रा.)	42 अन्य व्यय	27,00,000 (रुपये सत्ताईस लाख मात्र)
3	049	2235021020115 बाल संरक्षण इकाई की स्थापना (के.60/रा.40-के.+ रा.)	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	17,06,871 (रुपये सत्रह लाख छह हजार आठ सौ इकहत्तर मात्र)
4	049	2235021020115 बाल संरक्षण इकाई की स्थापना (के.60/रा.40-के.+ रा.)	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	1,73,79,837 (रुपये एक करोड़ तिहत्तर लाख उनासी हजार आठ सौ सैंतीस मात्र)
	कुल			3,77,91,356 (रुपये तीन करोड़ सतहत्तर लाख इक्यानबे हजार तीन सौ छप्पन मात्र)

लेखाशीर्ष: 2235021020117 (स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से बाल गृह (बालक/बालिका) का संचालन (के.60/रा.40-के.+ रा.))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	049	2235021020117 स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से बाल गृह (बालक/बालिका) का संचालन (के.60/रा.40-के.+ रा.)	20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	1,31,00,000 (रुपये एक करोड़ इकतीस लाख मात्र)
	कुल			1,31,00,000 (रुपये एक करोड़ इकतीस लाख मात्र)

लेखाशीर्ष: 2235021020121 (दत्तक ग्रहण संसाधन एजेन्सी (के.60/रा.40-के.+ रा.))

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	049	2235021020121 दत्तक ग्रहण संसाधन एजेन्सी (के.60/रा.40-के.+ रा.)	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	20,000 (रुपये बीस हजार मात्र)
	कुल			20,000 (रुपये बीस हजार मात्र)

लेखाशीर्ष: 2235021020122 (किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना (के.60/रा.40-के.+ रा.))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	049	2235021020122 किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना (के.60/रा.40-के.+ रा.)	61 केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की धनराशि का एस.एन.ए. मे अन्तरण	1,19,88,155 (रुपये एक करोड़ उन्नीस लाख अट्ठासी हजार एक सौ पचपन मात्र)
	कुल			1,19,88,155 (रुपये एक करोड़ उन्नीस लाख अट्ठासी हजार एक सौ पचपन मात्र)
	महायोग	**17,67,64,167 (रुपये सत्रह करोड़ सड़सठ लाख चौंसठ हजार एक सौ सड़सठ मात्र)**		

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न यू0ओ0 संख्या-E-4-107-X-2026-27, दिनांक 25.08.2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(प्रेम प्रकाश सिंह)
संयुक्त सचिव

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज/लखनऊ।
3- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, संबंधित साइबर कोषागार।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विनय कुमार पाठक)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।